<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/टी ए/5001/2005/सवाईमाधोपुर</u>

बजरंगा पुत्र नारायण फौत जरिये कायम मुकाम–
1. दुलीचन्द 2. गिर्राज 3.केदार 4. राजू 5. पप्पू पुत्रान श्री बजरंगा जाति माली निवासी ग्राम खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर
6. गुलाब 7. कंचन 8. मंगली 9.गीता पुत्रियां बजरंगा जाति माली निवासी ग्राम खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

अपीलार्थी

बनाम

1.कैलाश पुत्र लडडूलाल

2. रमेश पुत्र लडडूलाल

3.सीताराम पुत्र लडडूलाल

4.कमला पुत्री लडडूलाल

5. लाड पुत्री लडडूलाल

6.भैरू पुत्र श्रीकिशन

7.गोपाल पुत्र श्रीकिशन

8.स्वरूप पुत्र श्रीकिशन

समस्त जाति मालीयान निवासीगण खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर

9. राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थी

<u>खण्ड पीठ</u>

श्री मनोज कुमार नाग सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 2.12.19

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 19–9–2005 के विरूद्ध राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपीलार्थी के पूर्वज बजरंगा वादी ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज बाबत वादपत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 9–9–2004से वाद वादी डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रत्यथीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–9–2005 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9–9–2004 को निरस्त कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालयको प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा तनकी संख्या एक को अपने पक्ष में सिद्ध कर दिया था। प्रत्यर्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 936, 528,891 व 428 को उनके पिता स्व.श्री किशनलाल की स्व अर्जित सम्पति बताते हुये वादी का वाद इस आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की थी किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि श्री किशन लाल की स्व अर्जित सम्पति रही हो। इसके अतिरिक्त राजस्व

अपील प्राधिकारी की राय में अपीलार्थी विवादित भूमि को स्व.नारायण की भूमि साबित करने में असफल रहा था तो प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार करते हुये वादी का वाद खारिज कर देना चाहिये था किन्तु उनको इस आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने का अधिकार नहीं था। उनका निर्णय आदेश 41नियम 24 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के वाद में प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाब दावे में इस आशय की आपति नहीं ली गई थी कि श्रीकिशन के समस्त वारिसान को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिये नोन जोइण्डर आफ पार्टीज के कारण वादी का वाद चलने योग्य नहीं है तथा न ही इस आशय की कोई तनकी कायम की गई थी, इसके बाबजूद भी राजस्व अपील प्राधिकारी ने स्व. किशन की दोनों पुत्रियों गंगा एवं रामकन्या को वाद में पक्षकार बनाने के निर्देश देते हुये वाद पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। इस प्रकार की आपति केवल विचारण न्यायालय के समक्ष ही ली जा सकती थी। वाद का मूल बिन्दु जो वादी को साबित करना था कि विवादित भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की सम्पति है जिसको अपीलार्थी ने बखूबी साबित कर दिया था। श्री किशन लाल की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में वाद की प्रकृति किसी भी रूप में नहीं बदलती है। विचारण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा अपनी अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद अपनी अपनी साक्ष्य बन्द करवा ली थी। विचारण न्यायलय द्वारा उनके समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया था। प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष यह आधार नहीं लिया था कि विचारण न्यायालय ने उनको अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया। ऐसे आधार लिये बिना अपील स्वीकार नहीं की जा सकती थी। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी श्रीकिशन की खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। नारायण के श्रीकिशन व बजरंगा हुये। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी बजरंगा द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें श्री किशन के सभी वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिये दावा नोन जोइण्डर आफ पार्टीज के दोष से रहित है। बजरंगा द्वारा दावे में यह प्ली ली गई है कि नारायण के फौत होने के समय वह नाबालिग था जिससे आराजी उसके बडे भाई के नाम दर्ज हो गई। जबकि साक्ष्य व दस्तावेजात से यह सिद्ध नहीं होता है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 के बाबत कोई विवेचन नहीं किया है। वाद वर्ष 1996 में पेश किया गया है जो कि स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। इनके द्वारा हमारे पिता के जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की जबकि इन्हें इन अंकनों का पूर्व से ज्ञान था। हमारे पिता के फौत होने के बाद बदयान्ती से इन्होने दावा पेश किया है। इन सब तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये प्रकरण को प्रेतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। इसलिये अपील खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अपीलार्थी वादी द्वारा खसरा नम्बर 158,159,888,936,172,528,891,160,458 कुल किता9रकबा 21बीघा 17विस्वा वादी व प्रतिवादी की पैतृक सम्पति होना मानते हुये इसमें 1/2हिस्से के लिये खातेदारी चाही है। नकल जमाबन्दी सम्बत 2049–52 में विवादित आराजी श्रीकिशन पुत्र नारायण जाति माली के खातेदार का अंकन है। आराजी खसरा नम्बर 528,891 व 936 अन्य खसरा नम्बरान के साथ साथ श्रीकिशन वल्द नारायण कौम माली के नाम दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत 2008 में भी इसी आशय के अंकन हैं। विचारण

न्यायालय ने वादी का वाद समस्त खसरा नम्बरान पर 1/2 हिस्से बाबत डिक्री किया है जबकि प्रतिवादीगण का यह कथन रहा है कि खसरा नम्बर 936,528,891व 458 हमारे पिता किशन की स्वअर्जित सम्पति रही है। जिसमें 1/2हिस्से पर वादीगण का दावा डिक्री योग्य नहीं था। विचारण न्यायालय ने प्रदर्श डी–8 चकबन्दी के आधार पर दावा डिक्री किया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि जिन खसरा नम्बरान बाबत एतराज किया गया है और जिन्हें अपनी स्व अर्जित सम्पति बताया है वे भी इसमें शामिल रहे हैं या नहीं। वादी द्वारा वाद वर्ष 1996 में पेश किया है जबकि प्रतिवादी किशन के नाम अंकन बहुत पहले से चले आ रहे हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावे में पक्षकारों के असंयोजन/कुसंयोजन के बाबत स्पष्ट अभिवचन लिये हैं जिसके बाबत भी तनकी बनाई जानी चाहिये थी। प्रतिवादी किशन के समस्त वारिसान को पक्षकार नहीं बनाने के अभाव में दावे में नान जोइण्डर आफ पार्टीज का दोष रहता है। इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य